न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या – 09/2020

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2020/00008

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोंडेंट्सः–
1. मूला पुत्र श्री चुना, उम्र 79 वर्ष जाति जाट निवासी करणवा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देसूरी

उपरिथतिः–

1. श्री नन्द किशोर बसंल, श्री पवन सिंघल, श्री गौतम गिरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, देसूरी, प्रकरण क्रमांक 4/2020 बअनवान राज. सरकार बनाम मूला, निर्णय दिनांक 28.04.2020</u>

–:आदेशः– दिनांक 19/03/2021

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव करणवा, पटवार हल्का कोटडी में स्थित खसरा नंबर 957 रकबा 0.80 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में से रकबा 0.17 हैक्टेयर पर अपीलान्ट अप्रार्थी के अनाधिकृत कब्जा करने की रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू राजस्व नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 28.04.2020 को तलब किया गया। यद्यपि दिनांक 28.04.2020 को पूरे देश में कोविड 19 (कोराना) की बीमारी के कारण लॉकडाऊन तालाबंदी थी। आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे, सभी कार्यालय एवं कार्य बंद थे, तथापि अपीलाण्ट अप्रार्थी उक्त तिथि को तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ। वहां पर केवल एक ही कर्मचारी थे जिनके निर्देशानुसार अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त कर्मचारी द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी के फाईल के खाली कागज पर अगुष्ठा करवाकर बताया कि तहसीलदार साहब के आने पर आगामी तारीख की सूचना भिजवायी जायेगी। दिनांक 28.04.2020 को अपीलान्ट अप्रार्थी की उपस्थिति में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई न ही कोई निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी को दिनांक 26.08.2020 को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.04.2020 को ही अपीलान्ट अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर उसे अतिक्रमी घोषित कर 50/– रूपये जुर्माना राशि आरोपित कर अपीलान्ट अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित कर दिया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों क खिलाफ अवैध होने से उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कि है की माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी कोटडी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अप्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

अपीलार्थी ने दलील व तर्क दिया की पटवारी कोटडी द्वारा मौका कब देखा गया, इसकी तारीख, माह, वर्ष तक रिपोर्ट में अंकित नहीं है, न ही रिपोर्ट में यह अंकित है कि अपीलान्ट अप्रार्थी का मकान खसरा नंबर 957 की भूमि के किस भाग पर स्थित है, मकान की लम्बाई चौड़ाई कितनी है, इसका क्षैत्रफल कितना है, मकान के निर्माण की प्रकृति क्या हैं, कितना पुराना है व उसके अडौस पडौस क्या है? इसका कोई विवरण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है, न ही पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार का सीमांकन किया है, न ही कोई नक्शा तैयार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके की जांच किये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं ऐसी गलत मनमानी रिपोर्ट के अधार पर गैर कानूनी तरीके से कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय गलत, मनमाना व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

इस संबंध में द्वितीय दलीय यह दी गयी की अधीनस्थ न्यायालय में की आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण कब दर्ज किया गया, प्रकरण दर्ज करन की तिथि ही अंकित नही है, न ही आगामी पेशी की तारीख ही अंकित है। इस कारण तारीख पेशी के संबंध में जारी नोटिस गलत व निराधार बिना आदेश के जारी किया हुआ है, इस कारण प्रकरण के कार्यवाही बिना किसी आधार के गलत एवं गैर कानूनी तरीके से प्रारंभ की गई है एवं ऐसी कार्यवाही के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित गलत व गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थी ने दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली है, किन्तु उक्त जवाब का उल्लेख न तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2020 में किया गया है, न ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। इस प्रकार मानमान तरीके से केवल अपीलान्ट अप्रार्थी की उपस्थिति दर्ज गलत व गैर कानूनी निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इस संबंध में तृतीय दलील यह दी की माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दी गई पेशी के दिन पूरे देश में कोविड 19 (कोराना) की बीमारी के कारण लॉकडाऊन तालाबंदी थी। आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे, सभी कार्यालय एवं कार्य बंद थे। तहसील कार्यालय में भी तहसीलदार साहब उलब्ध नहीं थे। वहां पर केवल एक ही कर्मचारी थे। इस कारण न तो उक्त तिथि को प्रकरण में कोई सनुवाई हुई, न ही अपीलाण्ट अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ, न ही उसकी उपस्थिति में कोई निर्णय पारित हुआ। इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी को नोटिस संवत् 2076 में किये गये पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में जारी किया जाकर इस हेतु हेतुक दर्शिक करने हेतु निर्देशित किया गया था। जबकि पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिचार के संबंध में कोई रिपोर्ट ही नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में जारी किया गया, किन्तु पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण दर्ज नहीं किया जाकर संवत् 2077 के अतिचार के आधार पर प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया गया था। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये गलत एवं गैर कानूनी तरीके से मनमाना आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा श्रीमान को प्रषित पत्र क्रमांक राजस्व 20/385 एवं 386 दिनांक 15.05.2020 में अंकित तथ्यों से ही स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अप्रार्थी के खिलाफ धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही श्रीमान द्वारा हरीश कुमार पुत्र श्री धनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारीपत्र दिनांक 27.02.2020 एवं 19.03.2020 की पालना में खसरा नम्बर 957 की भूमि को सार्वजनिक भूमि की भूमि मानकर प्रारम्भ की गयी।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

श्रीमान द्वारा जारी उक्त पत्रों से स्पष्ट है कि श्रीमान के स्तर पर खसरा नम्बर 957 की भूमि के संबंध में पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अलग से सामान्तरण प्रकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें श्रीमान द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच की जाकर रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। तत्पश्चात् श्रीमान द्वारा यह पाये जाने पर कि विवादित खसरा नंबर 957 की भूमि गैर मुमकीन नदी, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरीश कुमार द्वारा एस बी सिविल रिट पीटिशन क्रमांक 13982/2019 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2020 में दिये गये निर्देशानुसार विधिवत् सुनवाई कर विवादित खसरा नंबर 957 किस्म बारानी दोयम रकबा 0.80 हैक्टेयर की भूमि (Public Utility) की भूमि पाये जाने पर विधि अनुसार स्पीकींग आदेश पारित करने थे। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही गलत एवं गैर कानूनी है।

इस संबंध में चौथी दलील यह दी की अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा जन उपयोग (Public Utility) की किसी भी भूमि पर किसी तरह का कोई अवैध अतिक्रमण नही किया गया है। प्रार्थी का पीढ़ियों पुराना कब्जा है। राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों का नाम पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार दर्ज चला आ रहा है। उनका कब्जा, काश्त एवं रहवास उससे बहुत वर्षो पहले से चला आ रहा है। विवादित भूमि पर उसके मकान बने हुये है, मकान में बिजली के कनेक्शन है, अपीलाण्ट अप्रार्थी के परिवार में छोटे बड़े कुल 55 सदस्य है। जिनका रहवास इन मकानों में है। अपीलाण्ट अप्रार्थी के रहवास हेतु इन मकानों के अतिरिक्त अन्य कोई आबादी भूमि या भूखण्ड/मकान नहीं है। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पिछले 50 वर्षो में किसी हस्तक्षेप एवं आपत्ति के राजस्व कर्मचारियों की जानकारी में लाखो रूपयों की लागत लगाई है। अपीलाण्ट अप्रार्थी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड इसी पते के है। प्रार्थी के कब्जे से गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हा रही है। किसी के द्वारा पिछले 50 वर्षो में कोई शिकायत नहीं की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985–86 में चलाये गये परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपीलाण्ट प्रार्थी के परिवार की सभी महिलाओं द्वारा नसबंदी करवाई गई। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 26.01.1986 को उन्हें प्रोत्साहन पत्र जारी किया गया। तत्सयम उन्हें विवादित खसरा नंबर 957 किस्म बारानी दोयम, जिस पर उनका कब्जा, काश्त एवं रहवास था, के नियमन/आवंटन का आवश्वासन दिया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशाानुसार दिनांक 26.11.987 को इस भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार अपीलाण्ट अप्रार्थी का कब्जा बारानी अव्वल किस्म की सिवाय चक भूमि पर है। जिसके नियमन में कोई रूकावट नहीं है। इस खसरा नंबर 957 के पास स्थित खसरा नंबर 956 की भूमि का नियमन/आवंटन किया गया। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के वर्ष 1971, 1983 एवं 2003, 2009 में जारी विभिन्न परिपत्रों के जरिये अपलाण्ट अप्रार्थी के कब्जे की भूमि के नियमन योग्य है। अपीलाण्ट अप्रार्थी का 50 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी हस्तक्षेप के निर्विघ्न कब्जा काश्त व रहवास कायम है। राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तशील में भी अपीलाण्ट अप्रार्थी का नाम लगातार दर्ज चला आ रहा है। अपीलाण्ट अप्रार्थी को उनके कब्जे के खसरा नंबर 957 रकबा 0.80 किस्म बारानी अव्वल भूमि से कभी भी वास्तविक भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। इस कारण प्रतिकुल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर भी अपीलाण्ट अप्रार्थी विवादित भूमि के मालिक हुए

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

है तथा राज्य सरकार को उसे बेदखल करने का अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रार्थी का खसरा नंबर 957 की 0.80 भूमि पर (Plausible calim of title) है। अपीलाण्ट अप्रार्थी का सेटल पजेशन (Settled Pessition) है। इस प्रकरण के विवाद में विधि एवं तथ्यों के विवादित बिन्दूओं का निर्णय किया जाना है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर बिना साक्ष्य लिये विधि अनुसार पुरी जांच किये बिना संक्षिप्त प्रक्रिया के जरिये अपीलाण्ट अप्रार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी कारण, आधार एवं औचित्य के पारित किया गया बेदखली का आदेश गलत एवं गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट अप्रार्थी को वर्षो पुरा कब्जा है। उनके द्वारा इस भूमि पर लाखों रूपयें का निवेश किया गया है। उनके कब्जे की भूमि का उनके अतिरिक्त अन्य किसी के लिये काई उपयोग नहीं है। अपीलाण्ट अप्रार्थी के कब्जे के खसरा नंबर 957 की भूमि के साथ ही कायम खसरा नवर 956 की भूमि का राज्य सरकार द्वारा तेजाराम पुत्र श्री राजाराम, जाति सुथार के पक्ष में आवंटन किया गया है इस कारण भी अपीलाण्ट अप्रार्थी का कब्जा नियमन योग्य है। अपीलाण्ट अप्रार्थी को उनके कब्जे से बेदखल करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, अपितू उनको बेदखल करने से लाखों रूपयें का नुकशान होगा। अपीलाण्ट अप्रार्थी एवं उनका परिवार बेघर बाहर हो जायेगा। जिससे उन्हें भारी असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। अपीलान्ट अप्रार्थी को श्रीमान के समक्ष हरीश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उक्त प्रतिवेदन पर श्रीमान द्वारा तहसीलदार को दिनांक 27.02.2020 एवं 19.03.2020 को भिजवाये गये आदेश की तथा इन आदेशों की पालना में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2020 को पारित निर्णय की। इस निर्णय की पालना में माननीय तहसीलदार द्वारा श्रीमान की भिजवायी गई रिपोर्ट दिनांक 15.05.2020 की एवं श्रीमान द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी का पक्का निर्माण हटाने के संबंध में दिये दिनांक 14.07.2020 को जारी किये गये आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 26.08.2020 को हुई जबकि हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी मुलाराम के पुत्र गेनाराम को उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी देकर मकान खाली करने हेतु निर्देशित करने पर हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट अप्रार्थी उपरोक्त में से किसी भी कार्यवाही के संबंध में अपीलाण्ट अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त जानकारी एवं आदेशों प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जो दिनांक 02.09.2020 को हुई। इससे समस्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2020 एवं उक्त निर्णय के पालना में की जा रही समस्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. वकील रेस्पोडेण्ट्स ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया।

5. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि गांव करणवा, पटवार हल्का कोटडी में स्थित खसरा नंबर 957 रकवा 0.80 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में से रकबा 0.17 हैक्टेयर पर अपीलान्ट अप्रार्थी के अनाधिकृत कब्जा करने की रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

राजस्व नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 28.04.2020 को तलब किया गया। यद्यपि दिनांक 28.04.2020 को पूरे देश में कोविड 19 (कोरोना) की बीमारी के कारण लॉकडाऊन तालाबंदी थी। आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे, सभी कार्यालय एवं कार्य बंद थे, तथापि अपीलाण्ट अप्रार्थी उक्त तिथि को तहसील कार्यालय में उपस्थिति हुआ। वहां पर केवल एक ही कर्मचारी थे जिनके निर्देशानुसार अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त कर्मचारी द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी के फाईल के खाली कागज पर अगुष्ठा करवाकर बताया कि तहसीलदार साहब के आने पर आगामी तारीख की सूचना भिजवायी जायेगी। दिनांक 28.04.2020 को अपीलान्ट अप्रार्थी की उपस्थिति में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई न ही कोई निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी को दिनांक 26.08.2020 को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.04.2020 को ही अपीलान्ट अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर उसे अतिक्रमी घोषित कर 50/– रूपये जुर्माना राशि आरोपित कर अपीलान्ट अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित कर दिया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों क खिलाफ अवैध होने से उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कि है की माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी कोटडी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अप्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जबकि संबंधित पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी कोटडी द्वारा मौका कब देखा गया, इसकी तारीख, माह, वर्ष तक रिपोर्ट में अंकित नहीं है, न ही रिपोर्ट में यह अंकित है कि अपीलान्ट अप्रार्थी का मकान खसरा नंबर 957 की भूमि के किस भाग पर स्थित है, मकान की लम्बाई चौड़ाई कितनी है, इसका क्षैत्रफल कितना है, मकान के निर्माण की प्रकृति क्या हैं, कितना पुराना है व उसके अडौस पडौस क्या है? इसका कोई विवरण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है, न ही पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार का सीमांकन किया है, न ही कोई नक्शा तैयार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके की जांच किये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं ऐसी गलत मनमानी रिपोर्ट के अधार पर गैर कानूनी तरीके से कार्यवाही प्रारंभ की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण कब दर्ज किया गया, प्रकरण दर्ज करने की तिथि ही अंकित नही है, न ही आगामी पेशी की तारीख ही अंकित है। इस कारण तारीख पेशी के संबंध में जारी नोटिस गलत व निराधार बिना आदेश के जारी किया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थी ने दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली है, किन्तु उक्त जवाब का उल्लेख न तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2020 में किया गया है, न ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। इस प्रकार मानमान तरीके से केवल अपीलान्ट अप्रार्थी की उपस्थिति दर्ज गलत व गैर कानूनी निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दी गई पेशी के दिन पूरे देश में कोविड 19 की बीमारी के कारण लॉकडाऊन तालाबंदी थी। आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे, सभी कार्यालय एवं कार्य बंद थे। तहसील कार्यालय में भी तहसीलदार साहब उपलब्ध नहीं थे। वहां पर केवल एक ही कर्मचारी थे। इस कारण न तो उक्त तिथि को प्रकरण में कोई सनुवाई हुई, न ही अपीलाण्ट अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ, न ही उसकी उपस्थिति में कोई निर्णय पारित हुआ। इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी को नोटिस संवत् 2076 में किये गये पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में जारी किया जाकर इस हेतु हेतुक दर्शिक करने हेतु निर्देशित किया गया था। जबकि पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिचार के संबंध में कोई रिपोर्ट ही नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस पश्चात्वर्ती

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

अतिक्रमण के संबंध में जारी किया गया, किन्तु पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध मे प्रकरण दर्ज नहीं किया जाकर संवत् 2077 के अतिचार के आधार पर प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा श्रीमान को प्रेषित पत्र क्रमांक राजस्व 20/385 एवं 386 दिनांक 15.05.2020 में अंकित तथ्यों से ही स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अप्रार्थी के खिलाफ धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही श्रीमान द्वारा हरीश कुमार पुत्र श्री धनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी पत्र दिनांक 27.02.2020 एवं 19.03.2020 की पालना में खसरा नम्बर 957 की भूमि को सार्वजनिक भूमि की भूमि मानकर प्रारम्भ की गयी। श्रीमान द्वारा जारी उक्त पत्रों से स्पष्ट है कि श्रीमान के स्तर पर खसरा नम्बर 957 की भूमि के संबंध मे पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अलग से सामान्तरण प्रकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें श्रीमान द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच की जाकर रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। तत्पश्चात् श्रीमान द्वारा यह पाये जाने पर कि विवादित खसरा नंबर 957 की भूमि गैर मुमकीन नदी, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरीश कुमार द्वारा एस बी सिविल रिट पीटिशन क्रमांक 13982/2019 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2020 में दिये गये निर्देशानुसार विधिवत् सुनवाई कर विवादित खसरा नंबर 957 किस्म बारानी दोयम रकबा 0.80 हैक्टेयर की भूमि (Public Utility) की भूमि पाये जाने पर विधि अनुसार स्पीकींग आदेश पारित करने थे। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही गलत एवं गैर कानूनी है। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा जन उपयोग (Public Utility) की किसी भी भूमि पर किसी तरह का कोई अवैध अतिक्रमण नही किया गया है। प्रार्थी का पीढ़ियों पुराना कब्जा है। राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों का नाम पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार दर्ज चला आ रहा है। उनका कब्जा, काश्त एवं रहवास उससे बहुत वर्षो पहले से चला आ रहा है। विवादित भूमि पर उसके मकान बने हुये है, मकान में बिजली के कनेक्शन है, अपीलाण्ट अप्रार्थी के परिवार में छोटे बड़े कुल 55 सदस्य है। जिनका रहवास इस मकानों में है। अपीलाण्ट अप्रार्थी के रहवास हेतु इन मकानों के अतिरिक्त अन्य कोई आबादी भूमि या भूखण्ड/मकान नहीं है। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पिछले 50 वर्षो में किसी हस्तक्षेप एवं आपत्ति के राजस्व कर्मचारियों की जानकारी में लाखो रूपयों की लागत लगाई है। अपीलाण्ट अप्रार्थी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड इसी पते के है। प्रार्थी के कब्जे से गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हा रही है। किसी के द्वारा पिछले 50 वर्षों में कोई शिकायत नहीं की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985–86 में चलाये गये परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपीलाण्ट प्रार्थी के परिवार की सभी महिलाओं द्वारा नसबंदी करवाई गई। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 26.01.1986 को उन्हें प्रोत्साहन पत्र जारी किया गया। तत्सयम उन्हें विवादित खसरा नंबर 957 किस्म बारानी दोयम, जिस पर उनका कब्जा, काश्त एवं रहवास था, के नियमन/आवंटन का आवश्वासन दिया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशाानुसार दिनांक 26.11.987 को इस भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार अपीलाण्ट अप्रार्थी का कब्जा बारानी अव्वल किस्म की सिवाय चक भूमि पर है। जिसके नियमन में कोई रूकावट नहीं है। इस खसरा नंबर 957 के पास स्थित खसरा नंबर 956 की भूमि का नियमन/आवंटन किया गया। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के वर्ष 1971, 1983 एवं 2003, 2009 में जारी विभिन्न परिपत्रों के जरिये अपलाण्ट अप्रार्थी के कब्जे की भूमि के नियमन योग्य है। अपीलाण्ट अप्रार्थी

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

का 50 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी हस्तक्षेप के निर्विघ्न कब्जा काश्त व रहवास कायम है। राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तशील में भी अपीलाण्ट अप्रार्थी का नाम लगातार दर्ज चला आ रहा है। अपीलाण्ट अप्रार्थी को उनके कब्जे के खसरा नंबर 957 रकबा 0.80 किस्म बारानी अव्वल भूमि से कभी भी वास्तविक भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। इस कारण प्रतिकुल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर भी अपीलाण्ट अप्रार्थी विवादित भूमि के मालिक हुए है तथा राज्य सरकार को उसे बेदखल करने का अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रार्थी का खसरा नंबर 957 की 0.80 भूमि पर (Plausible calim of title) है। अपीलाण्ट अप्रार्थी का सेटल पजेशन (Settled Pessition) है। इस प्रकरण के विवाद में विधि एवं तथ्यों के विवादित बिन्दूओं का निर्णय किया जाना है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर बिना साक्ष्य लिये विधि अनुसार पुरी जांच किये बिना संक्षिप्त प्रक्रिया के जरिये अपीलाण्ट अप्रार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी माननीय अधीनरथ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी कारण, आधार एवं औचित्य के पारित किया गया बेदखली का आदेश गलत एवं गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनरथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2020 एवं उक्त निर्णय के पालना में की जा रही समस्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस द्यौरान निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय तहसीलदार देसूरी का निर्णय दिनांक 28.04.2020 को पारित किया गया है कि विधि संगत है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको वहा हटाया जाना जरूरी है। अपीलाण्ट ग्राम करणवा के खसरा नंबर 957 रकवा 0.80 हैक्टयर किस्म बारानी में से 0.17 भूमि सिवाय चक भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतः अधिनरथ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को यथावत रखा जावें। जिससे भविष्य में अपीलाण्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नही कर सकें।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। गांव करणवा, पटवार हल्का कोटडी में स्थित खसरा नंबर 957 रकवा 0.80 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में से रकवा 0.17 हैक्टैयर पर अपीलान्ट अप्रार्थी के अनाधिकृत कब्जा करने की रिपोर्ट के आधार पर अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के खिलाफ राजरथान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पटवारी कोटडी द्वारा मौका कव देखा गया, इसकी तारीख, माह, वर्ष तक रिपोर्ट में अंकित नहीं है, न ही रिपोट में यह अंकित है कि अपीलान्ट अप्रार्थी का मकान खसरा नंबर 957 की भूमि के किस भाग पर स्थित है, मकान की लम्बाई चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, मकान के निर्माण की प्रकृति क्या हैं, कितना पुराना है व उसके अडौस पडौस क्या है? इसका कोई विवरण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है, न ही पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार का सीमांकन किया है, न ही कोई नक्शा तैयार किया है। इस प्रकार स्पष्ट कि हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके की जांच किये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अधीनरथ न्यायालय देसूरी की आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण कब दर्ज किया गया, प्रकरण दर्ज करन की तिथि ही अंकित नही है, न ही आगामी पैशी की तारीख ही अंकित है। अधीनरथ न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थी ने दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था, जो शामिल पत्रावली है, किन्तु उक्त जवाब का उल्लेख न तो अधीनरथ न्यायालय देसूरी की आदेशिका दिनांक 28.04.2020 में किया गया है, न ही अधीनरथ न्यायालय देसूरी द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। अधीनरथ

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2020 को यथावत रखा रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। उक्त पत्रावली पर मनन करने पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये तहसीलदार सक्षम है एवं तहसीलदार भूमिधारक होने के नाते उनका यह कर्तव्य है कि खाता नंबर एक में उल्लेखित सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर नियमन किये जाने से संबंधित राजकीय पत्र व परिपत्र पेश किये है। तहसीलदार को इस निर्देश के साथ पत्रावली पुनः प्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सरकारी पत्र एवं परिपत्रों का अवलोकन करें तथा नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की है। अतः अपने क्षेत्राधिकार में विधि के अनुरूप कार्य करें। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लोटाया जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)